न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी –सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 36/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1. रामपाल पुत्र श्री रामा लुहार निवासी हमीरगढ।
2. ईश्वर लाल पुत्र श्री मांगी लाल लुहार निवासी हमीरगढ।
3. भैरू लाल पुत्र श्री मांगी लाल लुहार निवासी हमीरगढ ।
4. मेहनी देवी पत्नी श्री मांगी लाल लुहार निवासी हमीरगढ।

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री बरदू उर्फ सोहन खाती निवासी हमीरगढ।
2. कालू लाल पुत्र श्री बरदू उर्फ सोहन खाती निवासी हमीरगढ।
3. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री बरदू उर्फ सोहन खाती निवासी हमीरगढ।
4. गोकल पुत्र श्री जमना लाल खाती निवासी हमीरगढ।
5. देबी लाल पुत्र श्री मांगी लाल खाती निवासी हमीरगढ।
6. भंवर लाल पुत्र श्री जमना लाल निवासी हमीरगढ।
7. श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री जमना लाल खाती निवासी हमीरगढ।
8. श्याम लाल पुत्र श्री मांगी लाल खाती निवासी हमीरगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

...... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0**
अप्रार्थीगण अधिवक्ता नारायण चौधरी
संख्या 1 से 6 व 8 उपस्थित
पेरोकार सरकार विपक्षी क्रम 09 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.02.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 05.07.2021 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला में आराजी नम्बर 1355 रकबा 0.4047 है0 जो प्रार्थी संख्या 01 के नाम पर एवं आराजी नम्बर 1356 रकबा 0.2023 है0 भूमि जो प्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के नाम दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है।

प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि रेवल [illegible] से गांव में जाने वाले रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत [illegible] 353 की मेड से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित [illegible] नम्बर 1355 एवं 13[illegible] में आते जाते है, जिससे प्रार्थीगण अपने बेलगाडी, संज ट्रेक्टर [illegible] दि अपने पूर्वजो के [illegible] से जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थीगण की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीर[illegible] (राज.)

मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। साबिक नक्शे में उक्त रास्ते को लाईन से राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षीगण की नियत मे फितुर पैदा होने वा प्रार्थीगण की आराजियात को हडप करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही व विपक्षीगण को दिनांक 20 जून 2021 दो हजार इक्कीस को रास्ते में अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार रास्ता रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। उपरोक्त खातेदरों से प्राथीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है उक्त आराजी सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षैत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा(1)के अधीन सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू अभिलेख क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा आराजी नम्बर 1355 एवं 1356 में आने जाने हेतु रास्ता जो कि रेलवे स्टेशन से गॉव में जाने वाले रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 1352 एवं 1353 की मेड से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 1355 एवं 1356 में आते जाते है, को रास्ता से 30 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जोन का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान करने की लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 06.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01, लगायत 06 व 08 की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण लाल चौधरी का पेश हुआ [illegible] द्वारा दिनांक 31.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 07 का नाम डिलीट [illegible] हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिसे अध्ययन/परिक्षण उपरान्त [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 07 का नाम डिलिट/विलोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई। वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 व 08 की ओर से दिनांक 22.02.2022 को जवाब पेश कर निवेदन किया:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

1. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 जिस भांति अंकित की हैं असत्य होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण सक्षम साक्ष्य से साबित करावें इस चरण में प्रार्थीगण ने इन्ही खातों में दर्ज अन्य आराजियात संख्या 1360,136 को और साथ ही सामलाती नलकुप वाली आराजी संख्या 1362 को आपस में बिना किसी मेड बंदी के सटी हुई को जान बुझकर अपने अविधिक मनसुबो सफल होने के आशय से छिपाया है। जिस कारण भी प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है।
2. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 नितान्त असत्य होने से अस्वीकार है प्राथीगण स्वंय अपनी सक्षम साक्ष्य से साबित करावें वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थीगण कभी अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1352 व 1353 की मेड से आये गये नही है। और ना ही अपनी बेलगाडी,संज, ट्रेक्टर आदि लाये गये है प्रार्थीगण अपनी आराजियात 1355 व 1356 में अपनी ही अन्य आराजियात संख्या 1360,1361,1362 से व अन्य सहखातेदार की आराजियात से होकर आये गये हैं साथ ही साबिक नक्शा जो पेश किया हैं जो अत्यधिक पुराना हैं जिसमें त्रुटिवश डोटेड लाईन दर्ज हुई थी जिसमें कई वर्ष पूर्व ही सुधार हो चुका है जिसमें आराजी संख्या 1364 की मेड से प्रार्थीगण की सामलाती आराजी संख्या 1362 तक डोटेड लाईन से जुडा हुआ है जिस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विपक्षीगण के विरूद्ध पोषणीया नही है।
3. यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या काल्पनिक और मनगडंत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वंय अपनी सक्षम साक्ष्य से साबित करावें वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण द्वारा इप्सित मार्ग आत्यान्तिक नही होकर केवल मात्र अपनी आराजियात को दो मुख्य मार्गो से सीधा जोडने के अविधिक मंसुबो के चलते केवल अपनी सुविधा प्रतिपूर्ति हेतु और दुर्भावनावश अप्रार्थीगण को मात्र तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। जो मय हर्जे खर्चे के खारिज योग्य है।
4. यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4,6,7,8,9,10 न्यायिक अवैक्षणिय होने से अप्रार्थीगण अपने जवाब की आवश्यकता महसुस नहीं करते है।
5. यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5 भी नितान्त असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण स्वयं अपनी सक्षम साक्ष्य से साबित करावें। अन्त में जो प्रार्थना लिखी हैं विधि सम्वत नही होने से पोषणीय नही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र उत्तरदाता अप्रार्थीगण के विरूद्ध सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा नियत सुनवाई दिनांक 19.08.2021 पर तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र निर्देश दिये [illegible] प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन [illegible] हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हमीरगढ द्वारा दिनांक 18.01.2021 मार्फत भू अभिलेख निरीक्षक से तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

हमने प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा हमीरगढ स्थित आराजी संख्या 1352 रकबा 0.3288 है0 में से 0.0063है0 एवं आराजी नम्बर 1353 रकबा 0.3161 है0 मे से 0.0315 है0 (कुल 0.0378है0) हैक्टयर भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या आराजी नम्बर 1355 रकबा 0.4047 है0 एवं आराजी नम्बर 1356 रकबा 0.2023 है0 में आने–जाने हेतु आराजी संख्या 1352 रकबा 0.3288 है0 में से 0.0063है0 एवं आराजी नम्बर 1353 रकबा 0.3161 है0 मे से 0.0315 है0 (कुल 0.0378है0) हैक्टयर भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार हमीरगढ द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 1352,1353 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार हमीरगढ के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा आराजी संख्या 1352 रकबा 0.3288 है0 में से 0.0063है0 एवं आराजी नम्बर 1353 रकबा 0.3161 है0 मे से 0.0315 है0 (कुल 0.0378है0) है0 हैक्टयर मालियत राशि की दोगुनी राशि (0.0378है0 की) अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावें।

पत्रावली दर्ज [illegible] कर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को सरे ईज[illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:52:58 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा (राज.)